न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 07/2020

1. आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर जरिये श्री अमित गोस्वामी, प्राधिकृत अधिकारी प्रार्थी।

प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. श्री बलराम कुमार पुत्र श्री हरभजन (ऋणी)
2. श्री हरभजन पुत्र श्री गंगासहाय (सहऋणी)
3. श्रीमति कैलाशी (सहऋणी)

समस्त ग्राम गनीपुर हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा 303303 (राजस्थान)।

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांक: 03.09.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री बलराम कुमार पुत्र श्री हरभजन पता– ग्राम गनीपुर हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा 303303 (राजस्थान) को 6,81,920/(रूपये छः लाख इक्कासी हजार नौ सौ बीस) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कंपनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जिला जयपुर को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जयपुर को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे अंकितानुसार बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा नंबर 38 दिनांक 11.08.2017 क्षेत्रफल 72.22 वर्गगज ग्राम गनीपुर हींगवा तहसील सिकराय जिला दौसा जो कि सहऋणी श्री हरभजन मीना पुत्र श्री गंगासहाय मीना के नाम है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी आधार हाऊसिंग फाइनेंस लि0 शाखा सी स्कीम जयपुर को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा